[2022] 13 एस. सी. आर 776

स्वतंत्र विद्यालयों का भारत संघ (आर. ई. जी. डी.)

वी.

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

(2012 की सिविल अपील संख्या 8162)

29 अगस्त, 2022

[संजीव खन्ना और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे।]

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972: एसएस। 1 (3) (ग), 2 (ङ), 13,13 क-उपदान का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2009-धाराओं में संशोधन। 2 (ई)

और एस का सम्मिलन। 132009 के संशोधन अधिनियम के अनुसार 1972 के अधिनियम का ए पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, जिसमें निजी स्कूलों के शिक्षकों को उपदान का लाभ दिया गया है।

5 वर्ष से कम के लिए निरंतर सेवा, उनकी सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति या इस्तीफे पर, या दुर्घटना या बीमारी के कारण उनकी मृत्यु या अक्षमता पर-उच्च न्यायालय की संवैधानिक वैधता

संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई निजी स्कूलों की याचिकाओं को खारिज कर दिया-पहले अपील में इस न्यायालय ने इस आधार पर चुनौती दी कि संशोधन अधिनियम, 2009 अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी में न्यायिक निर्णय को रद्द कर देता है।

शिक्षक संघ, 2004 और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है; और यह कि पूर्वव्यापी संशोधन अनुचित, अत्यधिक और कठोर हैं, और इस प्रकार, असंवैधानिक हैं-अपील पर, कहा गयाः विधायिका के पास उस प्रावधान की भाषा में संशोधन करने की संवैधानिक शक्तियां हैं जो अदालत के फैसले का विषय था, और ऐसा संशोधन अदालत के फैसले को खारिज नहीं करता है -

ओवररुलिंग एक ही कानून के आधार पर एक निर्णय मानता है-तत्काल

मामले में, कानून में संशोधन किया जाता है, और दोषों को हटा दिया जाता है या ठीक कर दिया जाता है, कानून बदल गया है, और इसलिए, पहले की व्याख्या अब लागू नहीं होती है और अप्रासंगिक हो जाती है-अलगाव का सिद्धांत शक्तियों की संख्या विधायिका के अनन्य क्षेत्रों का सीमांकन करती है, जो कानूनों को लागू करती है, और अदालतें जो अधिनियमित कानून की व्याख्या करती हैं जब विधायिका एक वैध कानून लाने और कानूनी त्रुटि को सुधारने के लिए अपनी शक्ति के भीतर कार्य करती है, तो अदालत के फैसले के बाद भी, विधायिका कानून को लागू करने के लिए अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करती है और अदालत के पहले के फैसले को खारिज नहीं करती है-चुनौती के संबंध में, कि पूर्वव्यापी संशोधन अनुचित हैं, ग्रेच्युटी के भुगतान पर ऊपरी सीमाएं हैं-हालांकि ग्रेच्युटी की गणना की जाती है।

सेवा के वर्षों के संदर्भ में, ऊपरी सीमा को देखते हुए,

उपदान के लिए भुगतान निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं हो सकता है, भले ही कर्मचारी नियोक्ता को प्रदान की गई सेवा के वर्षों को देखते हुए अधिक राशि का हकदार हो-इसलिए, संशोधन अनुचित या कठोर नहीं है शिक्षकों को उपदान के लाभ से वंचित करने के लिए भेदभाव किया गया था, जो एक अंतिम लाभ है।

जो प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्य में लगे लोगों सहित निजी विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों के अन्य कर्मचारियों को देय था-पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ संशोधन विधायी गलती के कारण शिक्षकों को हुए अन्याय और भेदभाव का निवारण करता है-यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन आवश्यक था कि कुछ ऐसा जो शिक्षकों को देय और देय था, उसे कानून में किसी दोष के कारण उन्हें अस्वीकार नहीं किया जाता है।

प्रतिगामी प्रभाव और पूर्वव्यापी संचालन-के बीच अंतर-चर्चा की गई।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

न्यायालय द्वारा इंगित, और धारा 2 के लिए संशोधित खंड (ई), "कर्मचारी" शब्द को परिभाषित करता है और 3 अप्रैल 1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नई जोड़ी गई धारा 13 ए, अधिसूचना संख्या के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावी और उत्प्रेरित करती है। एस-42013 / 1 / 95 - एसएस. (II)। पूर्वव्यापी प्रभाव से कानून बनाने की यह शक्ति, जो प्रत्येक संप्रभु विधायिका में निहित है, अदालत के फैसले से छीन नहीं ली जाती है। हालांकि, अदालत के फैसले को विधायिका द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता है। विधायिका उस प्रावधान की भाषा में संशोधन कर सकती है जो अदालत के फैसले का विषय था, और ऐसा संशोधन अदालत के फैसले को खारिज नहीं करता है।

ओवररुलिंग एक ही कानून के आधार पर निर्णय लेता है। कहाँ?

कानून, जैसा कि वर्तमान मामले में, संशोधित किया गया है, और दोषों को हटा दिया गया है या ठीक कर दिया गया है, कानून बदल जाता है, और इसलिए,

पहले की व्याख्या अब लागू नहीं होती है और अप्रासंगिक हो जाती है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत विधायिका के अनन्य क्षेत्रों का सीमांकन करता है, जो कानूनों को अधिनियमित करता है, और अदालतें, जो कानून की व्याख्या अधिनियमित के रूप में करती हैं। इस न्यायालय द्वारा अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक संघ में पहले के निर्णय ने कानून की व्याख्या की थी, जो कि पी. ए. जी. अधिनियम की धारा 2 (ई) है, जैसा कि उस समय कानून में मौजूद था। इस फैसले को स्वीकार किया गया और विधायिका को एक कानून [2022] 13 एस. सी. आर. बनाने के लिए प्रेरित किया गया।

उन शिक्षकों को उपदान का लाभ देना, जिन्हें कानूनी दोष के कारण बाहर रखा गया था। जब विधायिका एक वैध कानून लाने और कानूनी त्रुटि को सुधारने के लिए अपनी शक्ति के भीतर कार्य करती है, तो अदालत के फैसले के बाद भी, विधायिका कानून को लागू करने के लिए अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करती है और अदालत के पहले के फैसले को खारिज नहीं करती है। [पैरा 13] [791-ई-जी; 792-ए-बी]

1.2 दूसरा आधार फिर से किसी भी योग्यता और सार से रहित है। विधानमंडल ने संशोधन अधिनियम, 2009 के माध्यम से धारा के संशोधित प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया है।

2 (ई) और 3 अप्रैल 1997 से प्रभावी नव अंतःस्थापित धारा 13 ए, जो धारा 1 (3) (सी) के तहत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख भी है, पी. ए. जी. अधिनियम को दस या अधिक कर्मचारियों वाले शैक्षणिक संस्थानों पर लागू करती है। द. संशोधन अधिसूचना द्वारा जो इरादा किया गया था उसे लागू करता है और प्रभावी बनाता है, लेकिन इसके कारण प्राप्त नहीं किया जा सका

तकनीकी और कानूनी दोष। इस कमी, भाषा में एक विकृति, जिसका शिक्षकों को बाहर रखने का अनजाने में प्रभाव पड़ा था, को ठीक किया गया है ताकि अधिसूचना जारी करने के पीछे के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, जिससे सभी शैक्षणिक संस्थानों में पी. ए. जी. अधिनियम लागू हो सके। शिक्षा का तर्क संस्थान जिन्हें आश्चर्यचकित किया गया है, वे गलत और अस्वीकार्य हैं क्योंकि कानून ने विधायी मरम्मत के माध्यम से एक क़ानून में अनजाने में दोष को ठीक कर दिया था, जैसा कि इस न्यायालय ने बताया था। निजी स्कूल, जब वे दोष के कारण उत्पन्न होने वाले निहित अधिकार का दावा करते हैं, तो स्वीकृति के लिए सफल नहीं होना चाहिए।

यह उन शिक्षकों की कीमत पर होगा जिन्हें अपेक्षित लाभ से वंचित और वंचित कर दिया गया था। वित्तीय व्यय या कठिनाई के रूप में मामूली असुविधा कम वजन की होती है, जब एक अनजाने में दोष का इलाज अधिक सार्वजनिक रूप से पूर्वव्यापी रूप से किया जाता है।

ब्याज, जो विचार एक या कुछ संस्थानों के हित को खत्म कर देगा। इस न्यायालय की टिप्पणियाँ अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक संघ यह संकेत देने के लिए पर्याप्त था कि शिक्षकों को उपदान का लाभ देने के लिए एक कानून को हस्तक्षेप करना चाहिए। यह तर्क कि निजी स्कूल शिक्षकों को अधिसूचना संख्या 1 के लाभ से वंचित करने में सफल होने के लिए निश्चित थे। एस-42013/1/95-एसएस। (II) दिनांक 3 अप्रैल 1997, संदिग्ध और स्वीकार किए जाने के लिए दूरगामी है। चुनौती थी

उन्होंने चुनाव लड़ा और उच्च न्यायालयों और फिर इस न्यायालय के समक्ष लंबित रहे।

निजी विद्यालयों ने कुछ स्वतंत्र विद्यालयों के भारत संघ (आर. ई. जी. डी.) v. पर भरोसा किया था। भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

इस न्यायालय के निर्णय, लेकिन इन निर्णयों ने अन्य अधिनियमों के तहत "कर्मचारी" शब्द की व्याख्या की है। जब दो या दो से अधिक विचार संभव होते हैं तो कानून अनिश्चितता के अधीन होता है, लेकिन कानून के अनुसार मुकदमेबाजी के बाद निश्चितता हो सकती है।

पूर्ववर्ती, जो अनिश्चितता को कम करता है। [पैरा 14] [792-डी-जी; 793 ए-सी]

1.3 निजी पक्ष की ओर से एक द्वितीयक तर्क

शैक्षणिक संस्थान कि वे 3 अप्रैल 1997 से पहले सेवा की अवधि के लिए उपदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, और इसलिए, संशोधन असहनीय और अत्याचारी हैं, समान रूप से है कई कारणों से गलत। अनुचितता का तर्क और यह कि संशोधन वित्तीय रूप से ज़ब्त करने वाला है, जो पिछले दायित्व पर आधारित है, जो अधिसूचना से पहले प्रभावी हो सकता है।

3 अप्रैल 1997 में, अन्य कारणों के अलावा, अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि ग्रेच्युटी के भुगतान पर ऊपरी सीमाएं हैं। इसलिए, हालांकि ग्रेच्युटी की गणना सेवा के वर्षों के संदर्भ में की जाती है, ऊपरी सीमा को देखते हुए, ग्रेच्युटी के लिए भुगतान निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं हो सकता है, भले ही कर्मचारी

नियोक्ता को दी गई सेवा के वर्षों को देखते हुए अधिक राशि का हकदार है। [पैरा 15,16] [793-डी; 795-ई-एफ]

1.4 पी. ए. जी. अधिनियम के प्रावधान, यहां तक कि इसके बाद भी

पूर्वव्यापी संशोधन केवल उन शिक्षकों पर लागू होंगे जो 3 अप्रैल 1997 को सेवा में थे और समाप्ति के समय 5 वर्ष से कम की सेवा प्रदान नहीं की है। 5 साल की अवधि आंशिक रूप से 3 अप्रैल 1997 से पहले की हो सकती है, जिस तारीख को

व्यक्ति को नियोजित किया गया था जो पी. ए. जी. अधिनियम की प्रयोज्यता को निर्धारित नहीं करता है। सेवा की समाप्ति की तारीख, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, या त्यागपत्र, या मृत्यु के रूप में या

दुर्घटना या बीमारी के कारण अक्षमता, प्रवर्तन तिथि के बाद होनी चाहिए, जो वर्तमान मामले में 3 अप्रैल 1997 है। 3 अप्रैल 1997 से पहले की सेवा अवधि सहित सेवा की पूरी अवधि को 5 साल की सेवा की पात्रता शर्त की गणना करने के उद्देश्य से गिना जाना है। यह गुडइयर इंडिया के प्रबंधन में अनुपात और निर्णय का सही प्रभाव है।

लिमिटेड का मामला और एक क़ानून के पूर्वव्यापी प्रभाव की व्याख्या करने वाले निर्णय। यह कानूनी स्थिति समान रूप से सही और सही होगी जब पी. ए. जी. अधिनियम पहली बार 16 सितंबर 1972 से लागू किया गया था, और जब अधिसूचना सं. एस-42013/1/95-एसएस। (II)

2] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पी. ए. जी. अधिनियम की धारा 1 (3) (सी) के तहत 3 अप्रैल, 1997 से जारी और लागू किया गया था। यह स्थिति इस मामले में होगी पी. ए. जी. अधिनियम की धारा 1 (3) (सी) के तहत जारी की गई सभी अधिसूचनाओं के लिए, जब तक कि कोई विपरीत इरादा व्यक्त नहीं किया जाता है। [पैरा 19] [800-सी-एफ]

1.5 स्कूलों ने अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का दावा किया है।

अधिसूचना सं. एस-42013/1/95-एसएस। (II) दिनांक 3 अप्रैल 1997 अपने आप में एक विसंगति थी जो अनिवार्य थी सुधार। अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक संघ के मामले में निर्णय का प्रभाव यह था कि हालांकि निजी शैक्षणिक संस्थानों को पी. ए. जी. अधिनियम के तहत शामिल किया गया था, लेकिन परिभाषा में कानूनी दोष को देखते हुए शिक्षकों को ग्रेच्युटी लाभ नहीं दिया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कर्मचारी के रूप में नहीं माना गया। शिक्षकों को उपदान के लाभ से वंचित करने के लिए भेदभाव किया गया था, एक अंतिम लाभ, जो निजी स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों के अन्य कर्मचारियों को देय था।

प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्यों में लगे लोग भी शामिल हैं। पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ संशोधन एक विधायी गलती के कारण शिक्षकों को हुए अन्याय और भेदभाव को दूर करता है, जिसे बाद में समझा गया था

अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक संघ के मामले में निर्णय की घोषणा। संशोधन आवश्यक था

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम में यह न्यायालय। कर्नाटक राज्य और अन्य, जो यह मानते हैं कि सिद्धांत, कैपिटेशन शुल्क का प्रभार या शैक्षिक स्वतंत्र विद्यालयों द्वारा मुनाफाखोरी भारत संघ (आर. ई. जी. डी.) v.

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

संस्थान अस्वीकार्य हैं। हालांकि, फैसले में यह नहीं कहा गया है कि शिक्षकों को उपदान का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में,

निर्णय में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान विस्तार की लागत को पूरा करने के लिए उचित अधिशेष के हकदार हैं और

सुविधाओं में वृद्धि और यह मुनाफाखोरी नहीं है। यह संभव है कि कुछ राज्यों में शुल्क निर्धारण हो। जिन कानूनों का पालन करना होगा। लेकिन इन कानूनों के अनुपालन का मतलब यह नहीं है कि शिक्षकों को ग्रेच्युटी से वंचित किया जाना चाहिए, जिसे वे किसी शैक्षणिक संस्थान के अन्य कर्मचारियों के रूप में प्राप्त करने के हकदार थे। शुल्क का विनियमन यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई व्यावसायीकरण और मुनाफाखोरी न हो, और इसका प्रभाव किसी स्कूल को "न्यायसंगत और अनुमेय स्कूल शुल्क" तय करने और एकत्र करने से रोकने के लिए नहीं है। [पैरा 20] [800-जी-एच; 801-ए-बी, डी-जी]

1.6 निजी विद्यालयों का निवेदन था कि

पूर्वव्यापी प्रभाव से, विधायिका के पास निहित एक संवैधानिक शक्ति है, जो किसी विशेष प्रकार के कानूनों, अर्थात् कर कानूनों तक सीमित और सीमित नहीं है। यह न्यायालय संप्रभु विधायिका के पास निहित शक्ति को सीमित करने और सीमित करने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं करेगा, जिससे संविधान द्वारा इस तरह की बाधाओं को निर्धारित नहीं किया जाता है। कब और किन मामलों में शक्ति का प्रयोग करना है, यह विधायिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यदि संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जाती है, तो न्यायालय उन प्रासंगिक परिस्थितियों की जांच करने का हकदार है जिन्होंने विधायिका को पूर्वव्यापी संशोधन करने के लिए प्रेरित किया। न्यायिक समीक्षा, जब किसी संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती दी जाती है, तो विधायी क्षमता की कमी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। मौलिक अधिकारों या किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन

भारत का संविधान। वर्तमान मामले में अधिसूचना सं। एस. 42013 / 1 / 95 - एसएस. (II) दिनांक 3 अप्रैल 1997 ने यह सुनिश्चित किया था कि उपदान के भुगतान की आवश्यकता वाले हितकारी प्रावधानों को

शैक्षणिक संस्थानों के "कर्मचारियों" तक विस्तारित। यह संशोधन पूर्वव्यापी प्रभाव से शिक्षकों के लिए हितकारी प्रावधानों को समान रूप से लागू करने के लिए है। संशोधन की मांग

समानता लाना और शिक्षकों के साथ उचित व्यवहार करना।

यह

[2022] 13 एस हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शायद ही एक मनमाने और उच्च-हाथ वाले उदाहरण के रूप में वर्गीकृत किया जाए [पैरा 22] [802-डी-एच; 803-ए] 1.7 स्थगन आदेश खाली कर दिए गए हैं। निजी स्कूल कर्मचारियों/शिक्षकों को वेतन के साथ भुगतान करते हैं।

आज से 6 सप्ताह के भीतर पी. ए. जी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और चूक के मामले में, एम्प्लो शिक्षक पी. ए. जी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वेतन लागू करने के लिए उपयुक्त मंच का रुख कर सकते हैं। [पैरा 26] [80 सी]

गुडइयर इंडिया लिमिटेड का प्रबंधन। वी. श्री के. जी

देवेसर (1985) 4 एस. सी. सी. 45;-विश्वसनीय (पैरा 25)

अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक संघ बनाम। प्रशासनिक अधिकारी और अन्य (2004) 1 एस. सी. सी. 755: [2004] 1 एस. सी. आर. 470; ए. सुंदरम्बल बनाम। गोवा, दमन और दीव और अन्य सरकार (1988) 4 एस. सी. सी. 42: [1988] 1 पूरक। एस. सी. आर. 604; हरियाणा गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालय संघ बनाम। हरियाणा राज्य (1996) 4 एससीसी 225: [1996] 1 पूरक। एस. सी. आर. 253; तमिलनाडु राज्य बनाम। अरूरन शुगर लिमिटेड (1997) 1 एस. सी. सी. 326: [1996] 8 पूरक। एस. सी. आर. 193; गुजरात राज्य और एक अन्य v. रमन लाल केशव लाल सोनी और अन्य (1983) 2 एस. सी. सी. 33; 2 एस. सी. आर. 287; टी. आर. कपूर और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य, (1986) पूरक एस. सी. सी. 584। भारत संघ और अन्य बनाम। तुषार रंजन मोहंती और अन्य (1994) 5 एस. सी. सी. 450 [1994] 1 पूरक। एस. सी. आर. 651; श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम। ब्रोच बरो नगरपालिका

और अन्य (1969) 2 एस. सी. सी. 283: [1970] 1 एस. सी. आर. 388; उजागर प्रिंट्स एंड अदर्स (II) v. भारत संघ और अन्य (1989) 3 एस. सी. सी. 488: [1988] 3 पूरक। एस. सी. आर. 770; राष्ट्रीय कृषि सहकारी अंकन संघ

ऑफ इंडिया लिमिटेड और एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य (2003) 5 एस. सी. सी. 23: [2003] 3 एससीआर 1; शांति कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य वी। असम राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य (2019) 19 एस. सी. सी. 529; विनीता शर्मा बनाम। राकेश शर्मा और अन्य (2020) 9 एससीसी 1: [2020] 10 एस. सी. आर. 135; दर्शन सिंह बनाम राम पाल सिंह और एक और 1992 सप। (1) एस. सी. सी. 191 बख्शीश सिंह बनाम मेसर्स दर्शन इंजीनियरिंग वर्क्स एंड अदर्स, (1994) 1 इंडिपेंडेंट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (आर. ई. जी. v.

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

फाउंडेशन और अन्य बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य (2002) 8 एससीसी 481: [2002] 3 पूरक। एससीआर 587; भारतीय

स्कूल, जोधपुर और एक अन्य वी। राजस्थान राज्य और

अन्य। (2021) 10 एससीसी 517: 2021 (5) जे. टी. 432; लोहिया

मशीन्स लिमिटेड और एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य

(1985) 2 एससीसी 197: [1985] 2 एस. सी. आर. 686; जेथानंदबेताब

वी. दिल्ली राज्य (1960) 1 एस. सी. आर. 755; राज्य सचिव

परिषद में भारत के लिए v. हिंदुस्तान सहकारी

बीमा सोसायटी लिमिटेड 1931 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 37;

खुदाबक्स बनाम। प्रबंधक, कैलेडोनियन प्रेस 1954 एससीसी ऑनलाइन कैल 132;-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2004] 1 एससीआर 470

संदर्भित किया गया है

पैरा

7

[1988] 1 पूरक। एससीआर 604

पैरा

7

संदर्भित किया गया है

[1996] 1 पूरक। एससीआर 253

संदर्भित किया गया है

पैरा

7

[1996] 8 पूरक। एससीआर 193

संदर्भित किया गया है

पैरा

12

[1983] 2 एससीआर 287

संदर्भित किया गया है

पैरा

12

[1994] 1 पूरक। एससीआर 651

संदर्भित किया गया है

पैरा

12

[1970] 1 एससीआर 388

संदर्भित किया गया है

पैरा

13

[1988] 3 पूरक। एससीआर 770

पैरा

13

संदर्भित किया गया है

[2003] 3 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

13

[2020] 10 एससीआर 135

संदर्भित किया गया है

पैरा

18

[1993] 3 पूरक। एससीआर 178

पैरा

20

संदर्भित किया गया है

[2002] 3 पूरक। एससीआर 587

संदर्भित किया गया है

पैरा

20

[1985] 2 एससीआर 686

पैरा

21

संदर्भित किया गया है

(2019) 19 एस. सी. सी. 529

पैरा

17

संदर्भित किया गया है

[2020] 10 एससीआर 135

संदर्भित किया गया है

पैरा

18

[1990] 3 पूरक। एससीआर 212

संदर्भित किया गया है

पैरा

18

[1993] 3 पूरक। एससीआर 178

संदर्भित किया गया है

पैरा

20

[2002] 3 पूरक। एससीआर 587

संदर्भित किया गया है

पैरा

20

[1985] 2 एससीआर 686

संदर्भित किया गया है

पैरा

20

(1985) 2 एससीसी 197

पैरा

21

[2022

] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1960] 1 एससीआर 755

पै

रा 24

संदर्भित किया गया है

(1985) 4 एससीसी 45

निर्भर/पालन किया गया

पै

रा 25

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.8162

2012 से।

उच्च न्यायालय के 02.12.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2010 की लिखित याचिका (सी) No.6168 में नई दिल्ली में।

के साथ

2012 की सिविल अपील Nos.8684,2013 की 2229,9406,6316-6329,

6330-6331 2017 के 3870,7457,7458,7459,7460,7461,7462, एसएलपी (सी) संख्या। 12535 2014 में, 2015 का 15069,2017 का 19930,2019 का 3293,2020 का 2235,2016 का लिखित याचिका (सिविल) No.44,2019 का लिखित याचिका (सिविल) No.1158 और 2015 का स्थानांतरण मामला (सिविल) No.104।

विक्रमजीत बनर्जी, एएजी, एस. के. गुप्ता, भुवन कपूर, सुश्री.

नचिकेता जोशी, सुश्री सुचेता जोशी, सुश्री हिमाद्री हक्सर, सुश्री माधवी मिश्रा, नीरज शर्मा, अंकित गोयल, कुणाल वर्मा, परमानंद गौर, अजीत प्रवीण वाघ, सुधांशु एस. चौधरी, अमरीक सिंह, श्रीकांत नीलप्पा तेरदल, सुमीर सोधी, ध्रुव वाधवा, सुश्री दीपानविता प्रियंका, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री सृष्टि मिश्रा, सुश्री रंजीता रोहतगी, सुश्री समतेन डोमा, नरेश कुमार, राजेश इमंदर, शाश्वत सोलंकी, सुश्री रेवांता सोलंकी, वसीम एल. शेख, रउफ रहीम, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजीव खन्ना, जे।

विशेष अवकाश याचिकाओं में अनुमति दी जाती है।

2. विशेष अवकाश के माध्यम से दीवानी अपीलें, जो आक्षेप करती हैं

इलाहाबाद उच्च न्यायालय-लखनऊ पीठ 1, उच्च न्यायालय के निर्णय

1 सिटी मोंटेसरी स्कूल और एक अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य। , विविध बेंच सं. 3075/2015; और सिटी मोंटेसरी स्कूल बनाम। अपीलीय प्राधिकरण, विविध। एकल संख्या. 4583/2017।

स्वतंत्र विद्यालयों का भारत संघ (आर. ई. जी. डी.)

वी. भारत और एक अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

गुजरात न्यायालय 2, दिल्ली उच्च न्यायालय 3, बॉम्बे उच्च न्यायालय औरंगाबाद पीठ 4, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 3, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय-बिलासपुर पीठ और मध्य उच्च न्यायालय

प्रदेश, इंदौर पीठ के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई एक साथ की गई क्योंकि उनमें एक सामान्य प्रश्न शामिल है-धारा 2 (ई) में संशोधन की संवैधानिक वैधता और 3 अप्रैल 1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 में धारा 13 ए को शामिल करना।

3. पी. ए. जी. अधिनियम 16 तारीख से लागू किया गया

सितंबर 1972 में, एक कर्मचारी को कम से कम 5 साल तक निरंतर सेवा देने के बाद, उसके खाते पर ग्रेच्युटी का भुगतान करना आवश्यक है।

सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र या उनकी मृत्यु या अक्षमता पर

दुर्घटना या बीमारी के कारण। 10 तथापि, पी. ए. जी. अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) निम्नलिखित प्रतिष्ठानों पर इसकी प्रयोज्यता को प्रतिबंधित करती हैः

" 1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार, अनुप्रयोग और प्रारंभ। -

XX

XX

XX

(3) यह इन पर लागू होगा -

3 इंडिपेंडेंट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (विनियमित) v. भारत संघ और ए. एन. आर. , डब्ल्यू. पी. (ग) नहीं. 6168/2010; और महर्षि शिक्षा संस्थान पंजीकृत सोसायटी बनाम। भारत संघ और एक और। , डब्ल्यू. पी. (सी) 4696/2012। 4 सेंट ज़ेवियर्स हाई स्कूल बनाम। शैलजा विष्णु देशपांडे। , लेखन याचिका सं. 15344/2017; और सेंट ज़ेवियर्स हाई स्कूल बनाम। जयश्री शामल घोष, रिट याचिका सं. 15282/2019।

1 7 श्रीमती के माध्यम से बाल निकेतन संघ। मीना फड़के बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। , लेखन याचिका सं. 5508/2014। 8 संक्षेप में, "पी. ए. जी. अधिनियम"।

' संक्षेप में, "संशोधन अधिनियम, 2009"।

10 पी ए जी अधिनियम की धारा 4।

2] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(क) प्रत्येक कारखाना, खदान, तेल क्षेत्र, बागान, बंदरगाह और रेलवे

कंपनी;

(ख) किसी राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों के संबंध में किसी भी कानून के अर्थ के भीतर प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान।

राज्य, जिसमें दस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, या थे पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन कार्यरत;

((ग) ऐसे अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों का वर्ग, जिसमें दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं या कार्यरत थे,

केंद्र सरकार के रूप में पिछले बारह महीनों का दिन

अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

वर्तमान मामले में, हम केवल खंड (ग) से संबंधित हैं और

खंड (ए) और (बी) से लेकर पी. ए. जी. अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) तक नहीं। खंड (ग) के अनुसार, पी. ए. जी. अधिनियम एक ऐसे प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के एक वर्ग पर लागू होता है जिसमें दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे। 1 1 4. पी. ए. जी. अधिनियम की धारा 1 (3) के खंड (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचना सं. एस. ओ. 239, पी. ए. जी. के प्रावधान

अधिनियम उन "स्थानीय निकायों" पर लागू किया गया था जिनमें दस या अधिक व्यक्ति प्रतिष्ठानों के एक वर्ग के रूप में कार्यरत हैं, जो 8 वीं से प्रभावी हैं।

जनवरी 1982। नतीजतन, दस या उससे अधिक कर्मचारियों वाले स्थानीय निकायों के तहत आने वाले स्कूल अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गए। हालांकि, यह अधिसूचना निजी स्कूलों पर लागू नहीं हुई।

5. अधिसूचना सं। एस-42013/1/95-एसएस। (II) श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 3 अप्रैल, 1997 को जारी किया गया,

पी. ए. जी. अधिनियम के प्रावधान दस या उससे अधिक कर्मचारियों वाले शैक्षणिक संस्थानों पर लागू किए गए हैं। निजी विद्यालय शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनमें दस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। के प्रावधानों के अनुसार अपने कर्मचारियों को उपदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गए

पी ए जी अधिनियम।

6. हालांकि, कुछ निजी स्कूलों ने यह दावा करते हुए विवाद खड़ा किया कि

शैक्षणिक संस्थानों या स्कूलों में शिक्षक "कर्मचारी" नहीं हैं जैसा कि पी. ए. जी. अधिनियम की धारा 2 (ई) में परिभाषित किया गया है। अभिव्यक्ति "कर्मचारी" में

18 मई 1984 से प्रभावी ग्रेच्युटी भुगतान (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा अंतःस्थापित धारा 1 की उप-धारा 3 ए में कहा गया है कि जिस दुकान या प्रतिष्ठान पर पी. ए. जी. अधिनियम लागू होता है, वह पी. ए. जी. अधिनियम लागू होने के बाद किसी भी समय, उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या के बावजूद, अधिनियम द्वारा शासित होता रहेगा, जो दस से नीचे आता है।

स्वतंत्र विद्यालयों का भारत संघ (आर. ई. जी. डी.)

वी. भारत और एक अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

उपदान (संशोधन) अधिनियम, 1994, जो उस समय 24 मई, 1994 से प्रभावी हुआ था, के पश्चात् धारा 2 का खंड (ङ) इस प्रकार हैः

इस प्रकारः

" 2. परिभाषाएँ। -

XX

XX

XX

(ङ) कर्मचारी का अर्थ है कोई भी व्यक्ति (प्रशिक्षु के अलावा) जो नियोजित है।

मजदूरी पर, किसी भी प्रतिष्ठान, कारखाने, खदान, तेल क्षेत्र, वृक्षारोपण में,

बंदरगाह, रेलवे कंपनी या दुकान, किसी भी कुशल, अर्ध-कुशल, या अकुशल, हस्तचालित, पर्यवेक्षी, तकनीकी या लिपिकीय कार्य, चाहे

ऐसे रोजगार की शर्तें स्पष्ट या निहित हैं, और क्या

या न ही ऐसा व्यक्ति किसी प्रबंधकीय या प्रशासनिक कार्य में कार्यरत है।

केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन और है किसी अन्य अधिनियम या भुगतान के लिए प्रावधान करने वाले किसी भी नियम द्वारा शासित

अनुग्रह राशि "।

यह तर्क कि शिक्षकों ने विवरण को पूरा नहीं किया

वेतन पर नियोजित कुशल, अर्ध-कुशल या अकुशल व्यक्तियों को गुजरात उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने 4 मई 2001 के फैसले के माध्यम से स्वीकार किया था। इस प्रकार, शिक्षकों को उपदान के लाभ से वंचित कर दिया गया था, लेकिन निजी स्कूलों के अन्य कर्मचारी उपदान के लाभ के हकदार थे।

7. गुजरात उच्च न्यायालय के इस निर्णय पर एक

शिक्षकों का संगठन अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक संघ, इस न्यायालय के समक्ष, लेकिन उनकी चुनौती को 13 जनवरी 2004 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। समान सामग्री के सिद्धांत को लागू करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 2 के खंड (ई) द्वारा परिभाषित "कर्मचारी" अभिव्यक्ति प्रतिबंधात्मक है और विस्तृत नहीं है। इस पर भरोसा करें

ए. सुंदरंबाल्व में निर्णय। गोवा सरकार, दमन और दीव और अन्य 1 4 और हरियाणा गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल संघ। हरियाणा राज्य ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

के तहत "कर्मचारी" की परिभाषा की व्याख्या करते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत "कामगार" की परिभाषा की भी व्याख्या की। 1 2 शांतिबेन एल. क्रिश्चियन बनाम। प्रशासनिक अधिकारी, अहमदाबाद म्यूनिसिपल स्कूल बोर्ड, 1987 का विशेष सिविल आवेदन संख्या 5272।

14 (1988) 4 एससीसी 42. 15 (1996) 4 एससीसी 225।

2] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में "कर्मचारी" शब्द की परिभाषा में अंतर की ओर इशारा किया। तदनुसार, छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों को पी. ए. जी. अधिनियम की धारा 2 (ई) के तहत "कर्मचारी" नहीं माना गया जैसा कि वे करते हैं।

किसी भी प्रकार का कुशल, अकुशल, अर्ध-कुशल, हस्तचालित, पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी या लिपिक कार्य न करें। तर्क करते हुए

अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन (ऊपर) को फैसले के पैराग्राफ 25 में स्पष्ट किया गया है, जिसमें लिखा हैः

" 25. 1972 में जब यह अधिनियम पारित किया गया था, तब विधायिका विभिन्न पिछले श्रम अधिनियमों में निहित "कर्मचारी" शब्द की विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं के प्रति सचेत थी। यदि यह सभी प्रकार के कर्मचारियों की परिभाषा में "कर्मचारी" को शामिल करने का इरादा रखता है, तो यह कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 2 (च) में निहित ऐसी व्यापक भाषा का भी उपयोग कर सकता है जो "कर्मचारी" को "किसी भी व्यक्ति के लिए परिभाषित करता है जो किसी भी प्रकार के काम, मैनुअल या अन्यथा, में या में मजदूरी के लिए नियोजित है।

एक प्रतिष्ठान के काम के साथ संबंध। " 1972 के अधिनियम की धारा 2 (ई) में "कर्मचारी" की परिभाषा में ऐसी व्यापक भाषा का उपयोग न करना हमारे इस निष्कर्ष को पुष्ट करता है कि शिक्षक

स्पष्ट रूप से परिभाषा में शामिल नहीं हैं।

फिर भी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शिक्षक इस प्रकार उपदान के लाभ से वंचित हो जाएंगे, न्यायालय ने कहा और स्पष्ट कियाः

" 26. हमारे निष्कर्ष को गलत नहीं समझा जाना चाहिए कि शिक्षक यद्यपि हमारे युवाओं को शिक्षित करने के एक बहुत ही महान पेशे में लगे हुए हैं सृजन को कोई उपदान लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। कई राज्यों में पहले से ही अलग-अलग कानून, नियम और विनियम हैं जो शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों को ग्रेच्युटी लाभ प्रदान करते हैं।

जो अधिनियम के तहत प्रदान किए गए उपदान लाभों की तुलना में कम या ज्यादा फायदेमंद हैं। यह विधायिका का काम है कि वह विभिन्न प्रतिष्ठानों में ऐसे शिक्षकों की स्थिति का संज्ञान ले, जहां उपदान लाभ उपलब्ध नहीं हैं और इस संबंध में उनके लिए एक अलग कानून के बारे में सोचे। यह केवल विधायिका का विषय है -

सोचिए और निर्णय लीजिए।

8. 26 नवंबर 2007 को, ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2007, संसद में पेश किया गया था, जिसमें "कर्मचारी" शब्द की परिभाषा में संशोधन करने की मांग की गई थी और इस तरह अहमदाबाद

प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन इंडिपेंडेंट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (आर. ई. जी. डी.) V. में इस न्यायालय द्वारा पहचानी गई त्रुटि या कमी को ठीक किया गया था।

(ऊपर)। उद्देश्य और कारण, जैसा कि कहा गया है और स्पष्ट है, निजी शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों को उपदान का लाभ देना था। इस विधेयक को 10 दिसंबर 2007 को स्थायी समिति के पास भेजा गया था। उचित विचार-विमर्श और गहन विचार-विमर्श के बाद, स्थायी समिति ने 26 वीं स्थायी समिति की रिपोर्ट में बदलाव का सुझाव देना उचित समझा। 3 अप्रैल, 1997 से शिक्षकों को उपदान देने के पहलू पर रिपोर्ट में कहा गया हैः

" 36 ..... समिति को लगता है कि कानून को लागू करने से

वर्ष 2004 से बड़ी संख्या में शिक्षकों को अपूरणीय क्षति होगी।

वर्ष 1997 में अधिसूचना। यह आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। साथ ही उन सभी प्रभावित व्यक्तियों को न्याय, जिनसे इनकार किया गया था

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972। "
9. 26 वीं स्थायी की उक्त सिफारिश को स्वीकार करना।

समिति की रिपोर्ट, ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2009 को 24 फरवरी 2009 को संसद में पेश किया गया था और 31 दिसंबर 2009 को पारित किया गया था। पी. ए. जी. अधिनियम की धारा 2 के खंड (ई) में 3 अप्रैल, 1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन किया गया था और कहा गया थाः

" 2. परिभाषाएँ। -

XX

XX

XX

(ङ) "कर्मचारी" से कोई भी व्यक्ति (प्रशिक्षु के अलावा) अभिप्रेत है।

जो मजदूरी के लिए नियोजित है, क्या ऐसे रोजगार की शर्तें

व्यक्त या निहित हैं, किसी भी प्रकार के काम में, मैनुअल या अन्यथा,

और किसी अन्य अधिनियम या इसके लिए प्रावधान करने वाले किसी भी नियम द्वारा शासित है उपदान का भुगतान; "

इसके अलावा, धारा 13 ए को भी 3 अप्रैल से लागू किया गया था।

1997 और पढ़ता हैः

" 13 ए. उपदान के भुगतान की वैधता। - इसके बावजूद

किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश में निहित कुछ भी, [2022] 13 एस. सी. आर.

अप्रैल, 1997 के तीसरे दिन से शुरू होने वाली अवधि के लिए

और उस दिन समाप्त होता है जिस दिन ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है

(संशोधन) अधिनियम, 2009, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है, उपदान एक कर्मचारी को देय होगा

श्रम और रोजगार मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1080, दिनांक 3 अप्रैल, 1997 और उक्त अधिसूचना वैध होगी और हमेशा वैध मानी जाएगी जैसे कि ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2009 सभी भौतिक समय पर लागू था।

और उपदान तदनुसार देय होगाः

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी दंड से प्रभावित करने के लिए विस्तारित नहीं होगा, या विस्तारित करने के लिए नहीं समझा जाएगा।

या इस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उसके द्वारा उपदान का भुगतान न करने के कारण कोई भी जुर्माना जो

उक्त अधिसूचना के अनुसरण में देय होना।

10. संशोधन अधिनियम, 2009 का उद्देश्य और कारण अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक संघ के फैसले को संदर्भित करते हैं।

(ऊपर), और कहा गया है कि विधायिका ने सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी की परिभाषा को शामिल करने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 2 के खंड (च) की व्यापक भाषा के समान भाषा का उपयोग किया है। यह भी स्पष्ट है कि संसद ने 3 अप्रैल 1997 को अधिसूचना की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से उन शिक्षकों को ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान करने के लिए संशोधन अधिनियम, 2009 पारित और अधिनियमित किया है, जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति पर कम से कम 5 साल तक निरंतर सेवा प्रदान की है।

सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र, या दुर्घटना या बीमारी के कारण उनकी मृत्यु या अक्षमता पर।

11. कई निजी स्कूलों ने संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जिन्हें सात उच्च न्यायालयों द्वारा खारिज कर दिया गया है, जैसा कि इस फैसले के पहले पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है। विशेष अनुमति के माध्यम से ये अपीलें इन निर्णयों को बाधित करती हैं। कुछ निजी स्कूलों ने भी हमारे समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाएं दायर की हैं।

12. भारत के संविधान के अनुच्छेद 245,246 और 248 के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों की शक्ति, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा तमिलनाडु राज्य में अभिनिर्धारित किया गया है। अरूरन शुगर Ltd.[1]6 16 और कई 16 (1997) 1 एससीसी 326।

स्वतंत्र विद्यालयों का भारत संघ (आर. ई. जी. डी.)

वी. भारत और एक अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

इस न्यायालय के अन्य निर्णय, जिनमें गुजरात राज्य और अन्य v शामिल हैं। रमन लाल केशव लाल सोनी और अन्य, टी. आर. कपूर और अन्य। हरियाणा और अन्य राज्य और भारत संघ और अन्य। तुषार रंजन मोहंती और अन्य ", कानून बनाने के लिए, क़ानून को संशोधित करने, हटाने या मिटाने या संभावित रूप से क़ानून बनाने की शक्ति को अपनाते हैं।

या पीछे की ओर। निष्पक्ष होने के लिए, अपीलार्थी और रिट याचिकाकर्ता क्षमता का विरोध नहीं करते हैं, और यह कि विधायिका के पास पहले से लागू कानून में संशोधन करने या पूर्वव्यापी के साथ एक नया कानून बनाने की शक्ति है।

प्रभाव पड़ता है। वे इस बात पर भी विवाद नहीं करते हैं कि धारा 2 (ई) में संशोधन और धारा 13 ए को शामिल करने को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है। द.

उठाए गए और संक्षेप में विचार किए जाने की आवश्यकता वाले चुनौती के दो मुख्य आधारों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

(क) संशोधन अधिनियम 2009 के माध्यम से कानून अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षकों में न्यायिक निर्णय को रद्द कर देता है।

संघ (ऊपर) और के अलगाव के सिद्धांत का उल्लंघन करता है

शक्तियाँ।

(ख) पूर्वव्यापी संशोधन अनुचित, अत्यधिक और कठोर हैं, और इसलिए, असंवैधानिक हैं।

13. पहला आधार हमें लंबे समय तक नहीं रोके रखना चाहिए, क्योंकि विचाराधीन कानून न्यायालय द्वारा इंगित दुर्बलताओं और दोषों को ठीक करता है, और धारा 2 के संशोधित खंड (ई), "कर्मचारी" शब्द को परिभाषित करते हुए और 3 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नई जोड़ी गई धारा 13 ए

पूर्वव्यापी प्रभाव, जो प्रत्येक संप्रभु विधायिका में निहित है, अदालत के फैसले से दूर नहीं किया जाता है। हालाँकि, एक अदालत का निर्णय नहीं हो सकता है विधायिका द्वारा अस्वीकृत। विधायिका उस प्रावधान की भाषा में संशोधन कर सकती है जो अदालत के फैसले का विषय था, और ऐसा संशोधन अदालत के फैसले को खारिज नहीं करता है। ओवररुलिंग धारणाएँ

एक ही कानून के आधार पर निर्णय। जहाँ कानून, जैसा कि वर्तमान मामले में है,

संशोधन किया गया है, और दोषों को हटा दिया गया है या ठीक कर दिया गया है, कानून बदल जाता है, और इसलिए, पहले की व्याख्या अब लागू नहीं होती है और अप्रासंगिक हो जाती है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत विधायिका के अनन्य क्षेत्रों का सीमांकन करता है, जो कानूनों को अधिनियमित करता है, और अदालतें, जो कानून की व्याख्या अधिनियमित के रूप में करती हैं। इससे पहले 17 (1983) 2 एससीसी 33.

18 (1986) पूरक एस. सी. सी. 584। 9 (1994) 5 एस. सी. सी. 450।

2] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय ने कानून की व्याख्या की थी, जो कि पी. ए. जी. अधिनियम की धारा 2 (ई) है, जैसा कि उस समय क़ानून में मौजूद था। इस फैसले ने स्वीकार किया और विधायिका को शिक्षकों को उपदान का लाभ देने के लिए एक कानून बनाने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें कानूनी दोष के कारण बाहर रखा गया था। जब विधायिका एक वैध कानून लाने और एक कानूनी त्रुटि को सुधारने के लिए अपनी शक्ति के भीतर कार्य करती है, तो अदालत के फैसले के बाद भी, विधायिका अभ्यास करती है।

कानून को लागू करने की इसकी संवैधानिक शक्ति और अदालत के पहले के फैसले को खारिज नहीं करती है। यह सिद्धांत विस्तृत उद्धरणों की आवश्यकता के लिए बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है, हालांकि अन्य मामलों के बीच श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड और एक अन्य v का संदर्भ दिया जा सकता है। ब्रोच बरो

नगरपालिका और अन्य 20, उजागर प्रिंट्स और अन्य (II) v. भारत संघ और अन्य 2 1 और राष्ट्रीय कृषि सहकारी मार्किंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अनदरव। भारत संघ और अन्य 2 2

14. दूसरा आधार फिर से किसी भी योग्यता और सार से रहित है। विधानमंडल ने संशोधन अधिनियम, 2009 के माध्यम से पूर्वव्यापी जानकारी दी है

धारा 2 (ई) के संशोधित प्रावधान और 3 अप्रैल 1997 से प्रभावी नव अंतःस्थापित धारा 13 ए, जो धारा 1 (3) (सी) के तहत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख भी है, को प्रभावी बनाते हुए पी. ए. जी. अधिनियम को दस या उससे अधिक संख्या वाले शैक्षणिक संस्थानों पर लागू करता है। कर्मचारी। संशोधन अधिसूचना द्वारा जो इरादा किया गया था उसे लागू करता है और उसे प्रभावी बनाता है, लेकिन तकनीकी और कानूनी दोष के कारण इसे प्राप्त नहीं किया जा सका। इस कमी, भाषा में एक विकृति, जिसका शिक्षकों को बाहर रखने का अनजाने में प्रभाव पड़ा था, को ठीक किया गया है ताकि अधिसूचना जारी करने के पीछे के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, जिससे सभी शैक्षणिक संस्थानों में पी. ए. जी. अधिनियम लागू हो सके। द.

शैक्षणिक संस्थानों का तर्क कि उन्हें लिया गया है

आश्चर्य गलत और अस्वीकार्य है क्योंकि कानून ने एक कानून में अनजाने में दोष को ठीक कर दिया था, जैसा कि इस न्यायालय ने विधायी मरम्मत के माध्यम से बताया था, निजी स्कूलों को, जब वे दोष के कारण उत्पन्न होने वाले निहित अधिकार का दावा करते हैं, तो सफल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वीकृति उन शिक्षकों की कीमत पर होगी जिन्हें वंचित कर दिया गया था और इच्छित लाभ से वंचित कर दिया गया था। अनजाने में किसी दोष का इलाज करने पर वित्तीय खर्च या कठिनाई के रूप में मामूली असुविधा कम होती है।

पूर्वव्यापी रूप से अधिक से अधिक सार्वजनिक हित में, जो विचार खारिज हो जाएगा

21 (1989) 3 एससीसी 488। 22 (2003) 5 एससीसी 23।

एक या कुछ संस्थानों का हित। 23 हम इस तर्क में इस कारण से भी बहुत कम योग्यता पाते हैं कि इस न्यायालय की टिप्पणियों में

अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन (ऊपर) पैराग्राफ 26 में यह संकेत देने के लिए पर्याप्त था कि शिक्षकों को ग्रेच्युटी का लाभ देने के लिए एक कानून को हस्तक्षेप करना चाहिए। यह तर्क कि निजी स्कूल शिक्षकों को अधिसूचना संख्या 1 के लाभ से वंचित करने में सफल होने के लिए निश्चित थे। एस-42013/1/95-एसएस। (II) दिनांक 3 अप्रैल 1997, संदिग्ध है।

और स्वीकार किया जाना दूर की बात है। चुनौती का मुकाबला किया गया था और था

उच्च न्यायालयों और फिर इस न्यायालय के समक्ष लंबित रहा। निजी विद्यालयों ने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भरोसा किया था, लेकिन इन निर्णयों ने अन्य अधिनियमों के तहत "कर्मचारी" शब्द की व्याख्या की है। जब दो या दो से अधिक विचार संभव होते हैं तो कानून अनिश्चितता के अधीन होता है, लेकिन पूर्ववर्ती कानून को देखते हुए मुकदमेबाजी के बाद निश्चितता हो सकती है, जिससे अनिश्चितता कम हो जाती है।

15. निजी शिक्षा की ओर से एक माध्यमिक तर्क

संस्थान कि वे 3 अप्रैल 1997 से पहले सेवा की अवधि के लिए उपदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, और इसलिए, संशोधन असहनीय और अत्याचारी हैं, कई कारणों से समान रूप से गलत है। कुछ हद तक

नियोक्ता-प्रबंधन के अनुसार, कर्मचारी उपदान का हकदार नहीं था। इस तर्क को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि ग्रेच्युटी एक कर्मचारी को पी. ए. जी. अधिनियम की धारा 425 के अधिदेश के अनुसार देय है। 23 उजागर प्रिंट्स एंड अदर्स (II) v में अनुच्छेद 69 देखें। भारत संघ और अन्य, (1989) 3 एस. सी. सी. 488।

24 (1985) 4 एससीसी 45. 25 4. उपदान का भुगतान। — (1) कम से कम पाँच वर्ष तक निरंतर सेवा देने के बाद कर्मचारी को उसकी नौकरी की समाप्ति पर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा।

((क) अपनी सेवानिवृत्ति पर, या

((ख) अपनी सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र पर, या

(ग) दुर्घटना या बीमारी के कारण उसकी मृत्यु या अक्षमता पर। बशर्ते कि पांच साल की निरंतर सेवा पूरी करना आवश्यक नहीं होगा जहां किसी कर्मचारी की नौकरी की समाप्ति मृत्यु या अक्षमता के कारण होती है:

कम से कम 5 वर्षों तक निरंतर सेवा प्रदान की है

सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र या उनकी मृत्यु या अक्षमता पर

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अक्षमता का अर्थ है ऐसी अक्षमता जो किसी कर्मचारी को उस काम के लिए अक्षम करती है जिसमें वह सक्षम था। दुर्घटना या बीमारी से पहले प्रदर्शन करना जिसके परिणामस्वरूप ऐसी अक्षमता होती है। (2) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छह महीने से अधिक के उसके हिस्से के लिए, नियोक्ता पंद्रह दिनों की मजदूरी के आधार पर एक कर्मचारी को उपदान का भुगतान करेगा।

संबंधित कर्मचारी द्वारा अंतिम बार ली गई मजदूरी की दरः बशर्ते कि एक अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, दैनिक मजदूरी की गणना तीन की अवधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल मजदूरी के औसत पर की जाएगी।

उसकी नौकरी की समाप्ति से तुरंत पहले के महीने, और इस उद्देश्य के लिए, किसी भी ओवरटाइम काम के लिए भुगतान किए गए वेतन को ध्यान में नहीं रखा जाएगाः

प्रत्येक मौसम के लिए सात दिनों के वेतन की दर से उपदान। स्पष्टीकरण। मासिक श्रेणीबद्ध कर्मचारी के मामले में, पंद्रह दिनों के वेतन की गणना उसके द्वारा अंतिम बार निकाले गए वेतन की मासिक दर को छब्बीस से विभाजित करके और भागफल को पंद्रह से गुणा करके की जाएगी।

(3) एक कर्मचारी को देय उपदान की राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

(4) एक कर्मचारी को देय उपदान की गणना करने के उद्देश्य से, जो अपने विकलांग होने के बाद, कम वेतन पर नियोजित है, उसके विकलांग होने से पहले की अवधि के लिए उसके वेतन को उस अवधि के दौरान उसके द्वारा प्राप्त वेतन के रूप में लिया जाएगा, और उसके विकलांग होने के बाद की अवधि के लिए उसके वेतन को इस तरह कम किया गया वेतन माना जाएगा। (5) इस धारा की कोई भी बात किसी कर्मचारी के किसी भी पुरस्कार या नियोक्ता के साथ समझौते या अनुबंध के तहत उपदान की बेहतर शर्तें प्राप्त करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

(6) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, -

(क) एक कर्मचारी की ग्रेच्युटी, जिसकी सेवाओं को किसी भी कार्य के लिए समाप्त कर दिया गया है, जानबूझकर चूक या लापरवाही से नियोक्ता की संपत्ति को कोई नुकसान या नुकसान या विनाश होता है, जब्त कर लिया जाएगा।

इस प्रकार से हुई क्षति या हानि की सीमा तक;

(ख) किसी कर्मचारी को देय उपदान पूरी तरह या आंशिक रूप से हो सकता है।

खो दिया।

(i) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाएँ उसके दंगापूर्ण या अव्यवस्थित आचरण या उस पर हिंसा के किसी अन्य कार्य के लिए समाप्त कर दी गई हैं।

भाग, या

((ii) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाओं को किसी ऐसे कार्य के लिए समाप्त कर दिया गया है जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध का गठन करता है, बशर्ते कि ऐसा अपराध उसके द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किया गया हो।

रोजगार।

(7) . ***

*** स्वतंत्र विद्यालयों का भारत संघ (आर. ई. जी. डी.)

वी. भारत और एक अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

दुर्घटना या बीमारी के कारण, जब ऐसी घटना पी. ए. जी. अधिनियम के प्रवर्तन के बाद हुई हो। न्यायालय ने नियोक्ता-प्रबंधन की ओर से इस निवेदन को खारिज कर दिया कि एक कर्मचारी केवल तभी उपदान का हकदार है जब, दोनों उस तारीख को जब पी. ए. जी. अधिनियम लागू हुआ था, और उस तारीख को जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ था, वह प्रति माह 1,000 रुपये से अधिक का वेतन प्राप्त कर रहा था। न्यायालय ने कहा कि नियोक्ता-प्रबंधन के प्रस्तुत करने को मंजूरी देने से श्रमिकों का एक पूरा वर्ग तैयार हो जाएगा, जो अपने रोजगार प्राप्ति के दौरान थे।

रुपये से कम वेतन। 1,000 / - प्रति माह लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर उन्हें रुपये का वेतन मिल रहा था। 1,000 / - प्रति माह, लाभ के बिना

उपदान। संसद की यह मंशा नहीं हो सकती थी। पी. ए. जी. अधिनियम की धारा 2 (ई) के आलोक में धारा 4 का अर्थ लगाने का उचित तरीका यह मान लेना होगा कि जब कर्मचारियों की सेवाएँ

वह अवधि जिसके दौरान उन्होंने धारा 2 (ई) के तहत "कर्मचारी" की परिभाषा को संतुष्ट किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अवधि पी. ए. जी. अधिनियम के प्रारंभ से पहले आती है या नहीं। एक बार जब वह शर्त पूरी हो जाती है, तो अगला और एकमात्र सवाल देय उपदान की राशि के बारे में होगा।

16. अनुचितता का तर्क और यह कि संशोधन वित्तीय रूप से ज़ब्त करने वाला है, जो पिछले दायित्व पर आधारित है, जो पूर्व हो सकता है 3 अप्रैल 1997 से प्रभावी अधिसूचना की तारीख, अन्य के अलावा

17. एक अधिनियम की प्रयोज्यता के संदर्भ में, अदालतों ने पूर्वव्यापी प्रभाव और पूर्वव्यापी प्रभाव के बीच अंतर निकाला है। ऑपरेशन। शांति कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य वी। असम राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य 26 पहले के मामले कानून का उल्लेख करते हैं और स्पष्ट करते हैं:

" 64. गौड़ा, जे. दिनांक 31-8-2016 की राय हालांकि यह मानती है कि अधिनियम पूर्वव्यापी नहीं है, लेकिन वह अधिनियम को पूर्वव्यापी मानता है। "पूर्वगामी" शब्द को ब्लैक के नियम में परिभाषित किया गया है।

निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोशः

26 (2019) 19 एससीसी 529।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" रेट्रोएक्टिव, एडज। (17(ग) (किसी कानून, निर्णय, आदि का) अतीत में घटित मामलों का दायरा या प्रभाव।

इसे पूर्वव्यापी भी कहा जाता है। सी. एफ. संभावना (1)। - रेट्रोएक्ट, वीबी "।

65. स्टेट बैंक के कर्मचारियों में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ संघ (मद्रास सर्कल) v. भारत संघ के पास अवसर था

पूर्वगामी और पूर्वव्यापी की अवधारणा की जांच करें। पैरा 20 में

और निर्णय के 21 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया हैः (एस. सी. सी पी.

593)

" 20. के. जे. अय्यर का न्यायिक शब्दकोश (13 वां संस्करण),

बटरवर्थ, पी। 857 , कहते हैं कि "पूर्वव्यापी" शब्द जब किसी अधिनियम के संदर्भ में उपयोग का अर्थ हो सकता है (i) प्रभावित करना

लेन-देन पूरा करना; या (iii) अर्जित अधिकारों को प्रभावित करना और उपचार; या (iv) प्रक्रिया को प्रभावित करना। शब्द और वाक्यांश,

स्थायी एडन। , खण्ड. 37 - ए, पीपी। 224-25 , एक "पूर्वव्यापी" को परिभाषित करता है

या पूर्वव्यापी कानून "जो निहित को छीन लेता है या बाधित करता है

या मौजूदा कानूनों के तहत अर्जित अधिकार। एक पूर्वगामी

लेन-देन के संबंध में एक नई अक्षमता संलग्न करता है या पहले से ही अतीत के विचार।

21. पी. रामनाथ अय्यर द्वारा उन्नत कानून शब्दकोश में (तीसरी संस्करण। ,

2005) अभिव्यक्तियाँ "पूर्वव्यापी" और "पूर्वव्यापी" की गई हैं

पी में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है। 4124 , खण्ड. 4 :

' रेट्रोएक्टिव। पीछे की ओर कार्य करना; जो अतीत है उसे प्रभावित करना।

(किसी कानून, निर्णय, आदि का) जो मामलों के दायरे या प्रभाव में विस्तारित हो।

जो अतीत में हुआ है। इसे पूर्वव्यापी भी कहा जाता है।

(ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 7 वीं संस्करण। , 1999)

विश्लेषण पर यह जल्द ही स्पष्ट हो जाता है, इसके अलावा, कि इसका उपयोग किया जाता है कम से कम दो अलग-अलग अवधारणाओं को शामिल करें। पहला, जिसे कहा जा सकता है

" वास्तविक पूर्व सक्रियता ", के एक नए नियम के अनुप्रयोग में शामिल है

एक अधिनियम या लेन-देन के लिए कानून जो नियम से पहले पूरा किया गया था

घोषित किया गया था। दूसरी अवधारणा, जिसका उल्लेख किया जाएगा

"अर्ध-पूर्व सक्रियता" के रूप में, तब होता है जब कानून का एक नया नियम लागू किया जाता है

पूरा होने की प्रक्रिया में किसी कार्य या लेनदेन के लिए। द.

इन अवधारणाओं की नींव पूर्ण ई. पी. एन. डी. ई. एस. एच. ओ. एल. के भारत संघ (आर. ई. जी. डी.) के बीच का अंतर है।

भारत और एक अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

और लंबित लेन-देन [टी. सी. हार्टले, द फाउंडेशन ऑफ

यूरोपीय सामुदायिक कानून, पी। 129 (1981)] .

XX

XX

XX

पूर्वव्यापी। पीछे मुड़कर देखना; अतीत के बारे में सोचना। पिछले समय से ऑपरेशन होना।

भ्रम इस तथ्य के कारण हुआ है कि इसका अधिक उपयोग किया जाता है एक से अधिक इंद्रियां। सामान्य तौर पर, हालांकि, अदालतें मानती हैं कि

किसी भी क़ानून का पूर्वव्यापी जो मामलों या तथ्यों पर काम करता है

इस अर्थ में इसके प्रारंभ से पहले अस्तित्व में आना

कि यह प्रभावित करता है, भले ही केवल भविष्य के लिए, चरित्र या पूर्व में या अन्य में किए गए लेन-देनों के परिणाम

पिछला आचरण। इस प्रकार, एक क़ानून केवल पूर्वव्यापी नहीं है।

क्योंकि यह मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करता है और न ही यह केवल पूर्वव्यापी है।

क्योंकि इसकी कार्रवाई के लिए आवश्यकता का एक हिस्सा एक से लिया जाता है

इसके गुजरने से पहले का समय। ' (खण्ड. 44 , हैल्सबरी के नियम इंग्लैंड, चौथा संस्करण। , पी। 570 , पैरा 921.) "

66. आगे जय महाकाली रोलिंग मिल्स बनाम। भारत संघ,

पूर्वगामी और पूर्वव्यापी की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित किया गया हैः

निर्धारित किया गयाः (एस. सी. सी पी. 200, पैरा 8)

" 8. " रेट्रोस्पेक्टिव का अर्थ है पीछे मुड़कर देखना, चिंतन करना।

इससे पहले कि यह लागू हो। प्रतिगामी क़ानून का अर्थ है एक क़ानून, जो लेन-देन या विचारों पर एक नया दायित्व पैदा करता है

या निहित अधिकारों को नष्ट या बाधित करता है।

67. कानून के संदर्भ में प्रतिगामी गतिविधि में अनुप्रयोग शामिल है

किसी अधिनियम या लेन-देन के लिए कानून का नया नियम जो नियम घोषित होने से पहले पूरा किया गया।

18. विनीता शर्मा बनाम। राकेश शर्मा और अन्य 27 ने अवलोकन किया

इट्रोस्पेक्टिव क़ानून पीछे की ओर काम करता है और निहित को हटा देता है

कानून के तहत उपार्जित। पूर्वगामी क़ानून काम नहीं करता है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन यह भविष्य में काम करता है, हालांकि यह नहीं बन जाता है

0) 9 एससीसी 1.

(उपर्युक्त) दर्शन सिंह बनाम में पहले के निर्णय पर निर्भर करता है और उसके उद्धरण देता है। राम पाल सिंह और एक अन्य, 29 हम भी किस भाग को देखना चाहेंगे? उद्धरणः

" 35. श्री सच्चर गोकल चंद बनाम पर निर्भर हैं। परवीन कुमारी,

गरिकापति वीराया बनाम। एन. सुब्बैया चौधरी, जोस दा कोस्टा

वी. बास्कोरा सदाशिव सिनाई नारकोर्निम, गोविंद दास बनाम। सीआईटी

हेन्सहॉल वी. पोर्टर, संयुक्त प्रांत बनाम। समर्थन में अतीका बेगम

उनका निवेदन कि संशोधन अधिनियम नहीं बनाया गया था

विधायिका द्वारा या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी अधिनियम के रूप में निहितार्थ स्वयं स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि यह होगा

माना जाता है कि यह 23-1-1973 पर लागू हुआ है और इसलिए

इसे पूर्वव्यापी संचालन देने का कोई औचित्य नहीं होगा।

चुनाव लड़ने का निहित अधिकार जो अलगाव पर बनाया गया था

जो हुआ था और जिसे अदालत में मुकदमा किया गया था, तर्क देता है

श्री सच्चर, उन्हें दूर नहीं ले जाया जा सका। दूसरे शब्दों में, अपील में लड़ने का निहित अधिकार संशोधन से प्रभावित नहीं हुआ था

और शामिल दो अधिकारों के बीच अंतर करना, अर्थात्, प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार। इन दो अधिकारों में से, जबकि चुनाव लड़ने का अधिकार एक प्रथागत अधिकार है, अपील करने का अधिकार हमेशा कानून का एक हिस्सा होता है। का परिवर्तन

अधिनियम द्वारा अपील के लिए मंच के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता है

स्वयं अपील करें। तत्काल मामले में हम चुनाव लड़ने के अधिकार से चिंतित हैं न कि अपील करने के अधिकार से। वहाँ भी है

निहित अधिकारों के संबंध में कानून के प्रस्तावों के बारे में कोई विवाद नहीं

एक अधिनियम द्वारा नहीं लिया जा रहा है जो प्रत्यक्ष या द्वारा है

निहितार्थ पूर्वव्यापी नहीं है। लेकिन केवल इसलिए कि एक अधिनियम अपने संचालन के दौरान एक पिछले कार्य या घटना की परिकल्पना करता है, यह नहीं हो सकता है

अनिवार्य रूप से पूर्वव्यापी कहा जाना चाहिए। पूर्वव्यापी, के अनुसार

28 वर्तमान मामले में, अनुच्छेद 20 (1) के संवैधानिक जनादेश की जांच और विचार करने की आवश्यकता नहीं है। 29 1992 सप. (1) एससीसी 191।

EPENDENT SCHOOLS 'FEDERAA ४७९ ऑफ इंडिया (REGD.) भारत और एक अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

ब्लैक लॉ डिक्शनरी का अर्थ है पीछे मुड़कर देखना; अतीत पर विचार करना; किसी क़ानून या विचाराधीन अधिनियम से पहले मौजूद चीजों का संदर्भ होना। उसी शब्दकोश के अनुसार, पूर्वव्यापी कानून का अर्थ है एक ऐसा कानून जो पीछे की ओर देखता है या अतीत पर विचार करता है; जो लागू होने से पहले होने वाले कार्यों या तथ्यों, या होने वाले अधिकारों को प्रभावित करने के लिए बनाया गया है। प्रत्येक कानून जो मौजूदा कानूनों के तहत अर्जित निहित अधिकारों को छीन लेता है या बाधित करता है, या एक नया दायित्व पैदा करता है, एक नया कर्तव्य लगाता है, या पहले से ही लेनदेन या विचारों के संबंध में एक नई अक्षमता को जोड़ता है। प्रतिगामी क़ानून का अर्थ है एक ऐसा क़ानून जो पहले से ही किए गए लेनदेन या विचारों पर एक नया दायित्व बनाता है या निहित अधिकारों को नष्ट या बाधित करता है।

36. हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में (चौथा संस्करण, खंड। 44, पैरा 921) में हम पाते हैं:

" 921. "पूर्वव्यापी" का अर्थ। यह कहा गया है कि "पूर्वव्यापी" कुछ हद तक अस्पष्ट है और इस तथ्य के कारण बहुत भ्रम पैदा हुआ है कि इसका उपयोग एक से अधिक इंद्रियों में किया जाता है। सामान्य तौर पर, हालांकि, अदालतें किसी भी क़ानून को पूर्वव्यापी मानती हैं जो अपने प्रारंभ से पहले अस्तित्व में आने वाले मामलों या तथ्यों पर इस अर्थ में काम करता है कि यह प्रभावित करता है, भले ही केवल भविष्य के लिए, पहले किए गए या अन्य लेनदेन के चरित्र या परिणाम।

पिछला आचरण। इस प्रकार एक क़ानून केवल इसलिए पूर्वव्यापी नहीं है क्योंकि यह मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करता है; या यह केवल इसलिए पूर्वव्यापी है क्योंकि इसकी कार्रवाई के लिए आवश्यकताओं का एक हिस्सा इसके पारित होने से पहले के समय से लिया गया है।

37. हम यह विचार रखने के लिए इच्छुक हैं कि तत्काल मामले में विधायिका ने प्रथा को समाप्त करने के लिए 23-1-1973 की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखा और केवल इसलिए कि उस कट-ऑफ तिथि पर कुछ प्रतियोगिताओं को अचानक समाप्त कर दिया गया था।

संशोधन अधिनियम पूर्वव्यापी। दूसरे शब्दों में, यह केवल इसलिए पूर्वव्यापी नहीं होगा क्योंकि इसकी कार्रवाई के लिए आवश्यकताओं का एक हिस्सा संशोधन अधिनियम के लागू होने के समय से तैयार किया गया था। हमारा यह भी विचार है कि यह प्रावधान करते हुए कि "कोई भी व्यक्ति अचल संपत्ति के किसी भी अलगाव को चुनौती नहीं देगा, चाहे वह पैतृक हो या गैर-पैतृक या ऐसी संपत्ति के लिए उत्तराधिकारी की किसी भी नियुक्ति को", ऐसे अलगाव या नियुक्तियों को चुनौती देने के किसी भी अधिकार को संरक्षित किए बिना, जो [2022] 13 एस. सी. आर. के लागू होने के बाद किए गए थे।

मूल अधिनियम और संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले, विधायिका का इरादा निहित अधिकार को भी काटना था; और यह कि निहितार्थ से भी ऐसा ही था। इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि किसी अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि विधायिका इसे स्पष्ट शब्दों या आवश्यक निहितार्थ द्वारा नहीं बनाती है। लेकिन तत्काल मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका का यही इरादा था। इसी तरह अदालतें एक प्रावधान का अर्थ स्पष्ट शब्दों का उपयोग करने पर पूर्वव्यापी रूप से कार्य करने की शक्ति प्रदान करने के रूप में करेंगी। हम इन मामलों में संशोधन अधिनियम की मंशा और भाषा दोनों को स्पष्ट पाते हैं।

19. पी. ए. जी. अधिनियम के प्रावधान, पूर्वव्यापी संशोधनों के बाद भी, केवल उन शिक्षकों पर लागू होंगे जो 3 अप्रैल 1997 को सेवा में थे और समाप्ति के समय कम से कम 5 साल की सेवा प्रदान की है। 5 साल की अवधि आंशिक रूप से 3 अप्रैल 1997 से पहले की हो सकती है, क्योंकि जिस तारीख को व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, वह पी. ए. जी. अधिनियम की प्रयोज्यता को निर्धारित नहीं करता है। समाप्ति की तिथि

सेवा, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, या त्यागपत्र, या दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु या अक्षमता के रूप में, प्रवर्तन तिथि के बाद होनी चाहिए, जो वर्तमान मामले में 3 अप्रैल 1997 है। पूरी लंबाई

3 अप्रैल 1997 से पहले की सेवा अवधि सहित सेवा को 5 साल की पात्रता शर्त की गणना करने के उद्देश्य से गिना जाना है।

सेवा करते हैं। यह प्रबंधन में अनुपात और निर्णय का सही प्रभाव है।

पी. ए. जी. अधिनियम की धारा 1 (3) (सी) के तहत जारी किया गया, जब तक कि कोई विपरीत इरादा व्यक्त नहीं किया जाता है, जो वर्तमान मामले में स्थिति नहीं है और इसलिए इसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है। 20. स्कूलों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (जी), 21 और 300-ए के उल्लंघन का दावा किया है, जो हमारी राय में नहीं हैं।

अधिसूचना सं. के प्रवर्तन पर शिक्षकों को उपदान लाभ से वंचित करने के रूप में उल्लंघन किया गया। एस-42013/1/95-एसएस। (II) दिनांक 3 अप्रैल 1997 था

अपने आप में एक विसंगति जिसने सुधार को अनिवार्य कर दिया। अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन (उपरोक्त) में निर्णय का प्रभाव यह था कि हालांकि निजी शैक्षणिक संस्थान इंडिपेंडेंट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (आर. ई. जी. डी.) के अंतर्गत आते थे।

वी. भारत और एक अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

पी. ए. जी. अधिनियम, परिभाषा में कानूनी दोष को देखते हुए शिक्षकों को उपदान लाभ नहीं दिया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कर्मचारी के रूप में नहीं माना गया। शिक्षकों को उपदान के लाभ से वंचित करने के लिए भेदभाव किया गया था, एक अंतिम लाभ, जो प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्यों में लगे लोगों सहित निजी स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों के अन्य कर्मचारियों को देय था। पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ संशोधन एक विधायी गलती के कारण शिक्षकों को हुए अन्याय और भेदभाव को दूर करता है, जिसे अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक संघ (उपरोक्त) में निर्णय की घोषणा के बाद समझा गया था। यह संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि जो कुछ शिक्षकों को देय और देय था, उसे क़ानून में किसी दोष के कारण उन्हें अस्वीकार नहीं किया जाए। ग्रेच्युटी के भुगतान को निजी स्कूलों द्वारा देय अप्रत्याशित लाभ या इनाम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सेवा की न्यूनतम शर्तों में से एक है। 3 0 इस पृष्ठभूमि में, निजी विद्यालयों का यह तर्क कि उनके पास शिक्षकों को उपदान देने की क्षमता और क्षमता नहीं है, अनुचित और अस्पष्ट है। सभी

प्रतिष्ठान पी. ए. जी. अधिनियम सहित कानून का पालन करने के लिए बाध्य हैं। जैसा कि पहले देखा गया था, निजी स्कूल निश्चित रूप से सरकार के इस इरादे से अवगत थे कि एक प्रतिष्ठान के रूप में शैक्षणिक संस्थानों को शामिल किया जाएगा और अधिसूचना संख्या 1 के जारी होने पर उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान करना होगा। एस-42013/1/95-एसएस। (II) दिनांक 3 अप्रैल 1997। कुछ स्कूलों ने टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में इस अदालत के फैसले के आधार पर तर्क दिया है।

और अन्य वी। कर्नाटक राज्य और अन्य 3 1, जो यह मानता है कि सैद्धांतिक रूप से, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कैपिटेशन शुल्क या मुनाफाखोरी वसूलना अस्वीकार्य है। हालांकि, फैसले में यह नहीं कहा गया है कि शिक्षकों को उपदान का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में, निर्णय

यह मानता है कि शैक्षणिक संस्थान सुविधाओं के विस्तार और वृद्धि की लागत को पूरा करने के लिए उचित अधिशेष के हकदार हैं और यह मुनाफाखोरी नहीं है। यह संभव है कि कुछ राज्यों में शुल्क निर्धारण कानून हैं जिनका पालन करना होगा। लेकिन इन कानूनों के अनुपालन का मतलब यह नहीं है कि शिक्षकों को ग्रेच्युटी से वंचित किया जाना चाहिए, जिसे वे किसी शैक्षणिक संस्थान के अन्य कर्मचारियों के रूप में प्राप्त करने के हकदार थे। शुल्क का विनियमन यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई व्यावसायीकरण और मुनाफाखोरी न हो, और इसका प्रभाव किसी स्कूल को "न्यायसंगत और अनुमेय स्कूल शुल्क" तय करने और एकत्र करने से प्रतिबंधित नहीं करना है, जैसा कि इस न्यायालय ने इंडियन स्कूल, जोधपुर और अनरेव में कहा है। राजस्थान राज्य और अन्य। 3 2

30 बख्शीश सिंह बनाम देखें। मेसर्स दर्शन इंजीनियरिंग वर्क्स एंड अदर, (1994) 1 एस. सी. सी. 9.
31 (2002) 8 एससीसी 481। 32 (2021) 10 एससीसी 517।

2] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. रिलायंस ने लोहिया मशीन्स लिमिटेड और अनदर वी. में अमरेंद्र नाथ सेन, जे. की असहमत राय को रखा। भारत संघ और

अप्रैल 1972, जिससे धारा 80 के तहत उपलब्ध कटौती को सीमित किया गया। आय कर अधिनियम, 1961 का जे। पैराग्राफ 78 में, न्यायाधीश अमरेंद्र नाथ सेन ने अपनी असहमति वाली राय में कहा है कि पूर्वव्यापी संचालन के साथ किसी भी वित्तीय प्रावधान को मान्य करने वाला एक मान्य अधिनियम आमतौर पर अनुचित और मनमाना नहीं माना जाता है, क्योंकि वे आम तौर पर एक अस्पष्टता को स्पष्ट करने या कुछ दोष या दोष को सुधारने के लिए बनाए जाते हैं। इस तरह के सत्यापन अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नए कर को लागू करने के प्रभाव के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसके बाद, न्यायाधीश अमरेंद्र नाथ सेन ने संशोधन के संदर्भ में कहा कि इसका प्रभाव मुख्य प्रावधान द्वारा स्पष्ट रूप से दिए गए लाभ को वापस लेने का है, जिसके कारण को स्वीकार नहीं किया गया है और बहुमत के फैसले का समर्थन नहीं किया गया है। वर्तमान मामले में, स्पष्ट रूप से दिए गए लाभ की कोई निकासी नहीं है।

22. निजी विद्यालयों का एक पूरक निवेदन था कि पूर्वव्यापी संशोधनों को बरकरार रखने वाले इस न्यायालय के निर्णय इस प्रकार हैं -

केवल तभी वैध होता है जब कोई कर निहितार्थ होता है क्योंकि सरकार को करना पड़ता है

पूर्वव्यापी संशोधन। न्यायिक समीक्षा, जब किसी संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती दी जाती है, तो विधायी की कमी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। क्षमता, मौलिक अधिकारों या भारत के संविधान के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन। वर्तमान मामले में अधिसूचना सं। एस 42013/1/95-एस. एस. (II) दिनांक 3 अप्रैल 1997 ने यह सुनिश्चित किया था कि उपदान के भुगतान की आवश्यकता वाले हितकारी प्रावधानों का विस्तार किया जाना चाहिए

" शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारी। संशोधन के साथ

33 (1985) 2 एससीसी 197।

स्वतंत्र विद्यालयों का भारत संघ (आर. ई. जी. डी.)

वी. भारत और एक अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

पूर्वव्यापी प्रभाव शिक्षकों के लिए हितकारी प्रावधानों को समान रूप से लागू करना है। संशोधन का उद्देश्य समानता लाना और निष्पक्षता प्रदान करना है शिक्षकों का इलाज। इसे शायद ही मनमाना और उच्च-हाथ अभ्यास के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

23. निजी स्कूलों और रिट द्वारा उठाया गया अंतिम विवाद

याचिकाकर्ताओं को निरसन और संशोधन अधिनियम 201634 के अधिनियमन पर आधारित किया गया है, जिसके आधार पर संशोधन अधिनियम 2009 को निरस्त कर दिया गया था। यह तर्क, हमारी राय में, सामान्य खंडों की धारा 6 ए की अनदेखी करता है।

अधिनियम, 1897 और निरसन और संशोधन अधिनियम की धारा 4, जो इस प्रकार हैः

" सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 ए

6 ए. अधिनियम में पाठ्य संशोधन करने वाले अधिनियम का निरसन या

विनियमन। - जहां कोई केंद्रीय अधिनियम या विनियमन बनाया गया है

इस अधिनियम का प्रारंभ किसी भी अधिनियम को निरस्त करता है जिसके द्वारा किसी भी केंद्रीय अधिनियम या विनियमन के पाठ को संशोधित किया गया था

किसी भी मामले में चूक, सम्मिलन या प्रतिस्थापन व्यक्त करें, फिर,

जब तक कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है, तब तक निरसन को प्रभावित नहीं करेगा इस प्रकार के अधिनियम द्वारा किए गए किसी भी संशोधन को जारी रखना

इस तरह के निरसन के समय निरस्त और लागू किया गया।

XX

XX

XX

निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016 की धारा 4

4. बचत। इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियम का निरसन नहीं किया जाएगा।

किसी भी अन्य अधिनियम को प्रभावित करता है जिसमें निरस्त अधिनियम है लागू किया गया, निगमित या संदर्भित किया गया,

और यह अधिनियम वैधता, अयोग्यता, प्रभाव को प्रभावित नहीं करेगा या

पहले से किए गए या पीड़ित किसी भी चीज़ के परिणाम, या कोई अधिकार,

पहले से अर्जित, उपार्जित या उपार्जित स्वामित्व, दायित्व या दायित्व,

या उसके संबंध में कोई उपाय या कार्यवाही, या कोई रिहाई या

किसी भी ऋण, दंड, दायित्व, दायित्व, दावे का या उससे निर्वहन या

माँग, या पहले से दी गई कोई क्षतिपूर्ति, या किसी का प्रमाण

पिछला कार्य या चीज़;

न ही यह अधिनियम किसी भी सिद्धांत या कानून के शासन को प्रभावित करेगा, या

अधिकारिता, रूप या अभिवचन की प्रक्रिया, अभ्यास या प्रक्रिया, या

मौजूदा उपयोग, प्रथा, विशेषाधिकार, प्रतिबंध, छूट, कार्यालय या

नियुक्ति, इसके बावजूद कि क्रमशः हो सकती है

34 संक्षेप में, "निरसन और संशोधन अधिनियम"।

2] 13 एस सी आर।

द्वारा किसी भी तरह से पुष्टि या मान्यता प्राप्त या व्युत्पन्न किया गया है, या

एतद्वारा निरसित किसी अधिनियम से; और न ही इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियम का निरसन किसी भी अधिकार क्षेत्र, पद, प्रथा, दायित्व, अधिकार, शीर्षक, विशेषाधिकार, प्रतिबंध, छूट, उपयोग, अभ्यास, प्रक्रिया या अन्य मामले को पुनर्जीवित या बहाल करेगा।

या ऐसी चीज़ जो अभी मौजूद या लागू नहीं है।

परिषद में भारत के लिए राज्य v. हिंदुस्तान सहकारी बीमा सोसायटी, Ltd.36 और यह सिद्धांत कि, जहां निरसन अधिनियम में कहा गया है कि उसका अधिनियमन किसी भी अधिनियम को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें अधिनियम लागू किया गया है, निगमित किया गया है या संदर्भित किया गया है, इसका मतलब है कि दोनों अधिनियमों का एक स्वतंत्र अस्तित्व है और इसलिए, संशोधन अधिनियम की मृत्यु पर भी, इसकी संतानें निगमित अधिनियम में जीवित रहती हैं। इस न्यायालय ने उक्त पहलू पर इंग्लैंड के हाल्सबरी के कानून और खुदा बक्सव में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया। प्रबंधक,

कैलेडोनियन प्रेस 3 7. जेथानंद बेताब (ऊपर) के फैसले से प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

" 6. एक निरसन और संशोधन अधिनियम का सामान्य उद्देश्य हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, 2nd Edn में कहा गया है। , खण्ड. 31 , पी पर। 563 ,

इस प्रकारः

" एक कानून कानून संशोधन अधिनियम कानून को नहीं बदलता है, लेकिन बस

कुछ अधिनियमों को हटा देता है जो बन गए हैं

अनावश्यक है। इसमें हमेशा विस्तृत प्रावधान होते हैं।

खुदा बक्स बनाम। प्रबंधक, कैलेडोनियन प्रेस, चक्रवर्ती, सी. जे., इस तरह के अधिनियमों के उद्देश्य और दायरे को बड़े करीने से सामने लाते हैं। विद्वान।

मुख्य न्यायाधीश पी. 486 :

35 (1960) 1 एससीआर 755।

36 1931 एस. सी. सी. ऑनलाइन पीसी 37.

37 1954 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 132।

EPENDENT SCHOOLS 'FEDERAA ४७८ ऑफ इंडिया (REGD.) भारत और एक अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

" इस तरह के अधिनियमों का कोई विधायी प्रभाव नहीं है, लेकिन इसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं

सम्पादकीय संशोधन, जिसका उद्देश्य केवल कानून की पुस्तक से मृत पदार्थ को निकालना और इसकी मात्रा को कम करना है। ज्यादातर, वे संशोधन अधिनियमों को हटा देते हैं, क्योंकि

मुख्य अधिनियमों में संशोधन, उन अधिनियमों ने अपना उद्देश्य पूरा किया है और उनके अस्तित्व का कोई और कारण नहीं है। में।

कई बार, अधिनियमों को निरस्त और संशोधित करके भी विसंगतियों को दूर किया जाता है। ऐसे अधिनियमों का एकमात्र उद्देश्य, जिन्हें इंग्लैंड में संविधि कानून संशोधन अधिनियम कहा जाता है, विधायी स्प्रिंग है। साफ-सफाई और उनका उद्देश्य कानून में कोई बदलाव करना नहीं है। फिर भी, वे विस्तृत सावधानी के साथ बनाए गए खंडों को सहेजने से संरक्षित हैं।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि 1952 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य केवल अनावश्यक अधिनियमों और उत्पाद शुल्क को कानून की पुस्तक से हटा देना था ताकि कानून के लगातार बढ़ते प्रवाह के बोझ को हल्का किया जा सके और कानून में व्याप्त भ्रम को दूर किया जा सके। जनता का मन। 1952 के निरसन और संशोधन अधिनियम का उद्देश्य केवल 1949 के संशोधन अधिनियम को इसी तरह के अधिनियमों के साथ समाप्त करना था, जिन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा किया था।

7. अगला सवाल यह है कि क्या 1952 के अधिनियम की धारा 4

निरस्त अधिनियम द्वारा 1933 के अधिनियम में जोड़े गए संशोधनों के संचालन को बचाया। धारा 4 के प्रासंगिक भाग ने केवल उन अन्य अधिनियमों को बचा लिया है जिनमें निरस्त अधिनियमों को लागू किया गया है, शामिल किया गया है या संदर्भित किया गया है। क्या यह कहा जा सकता है कि संशोधन 1952 के अधिनियम की धारा 4 में महत्वपूर्ण शब्दों की भाषा द्वारा कवर किए गए हैं, अर्थात्, "लागू, निगमित या संदर्भित"। हम नहीं सोचते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 4 एक अलग स्थिति के लिए प्रावधान करने के लिए बनाई गई है, अर्थात्, पहले के अधिनियम का निरसन जो बाद के अधिनियम में लागू, निगमित या संदर्भित किया गया है। उस धारा के तहत पहले के अधिनियम का निरसन बाद के अधिनियम को प्रभावित नहीं करता है। उक्त सिद्धांत को क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल, 10 वीं संस्करण में संक्षिप्त रूप से कहा गया है। , पी। 406 :

" जहां एक क़ानून के प्रावधान, संदर्भ द्वारा, दूसरे में शामिल किए जाते हैं और पहले के क़ानून को बाद में निरस्त कर दिया जाता है, इस तरह से शामिल किए गए प्रावधान स्पष्ट रूप से तब तक लागू रहते हैं जब तक कि वे दूसरे अधिनियम का हिस्सा हैं।

तो भी, क़ानून पर क्रेज़ में, तीसरा संस्करण। , साम विचार है

निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया, पी। 349 :

" कभी-कभी स्पष्ट रूप से दोहराने के बजाय संसद का एक अधिनियम

पूर्व अधिनियम में निहित किसी धारा के शब्द, केवल उसे संदर्भित करते हैं, और संबंध द्वारा इसके प्रावधान बाद के अधिनियम द्वारा बनाई गई कुछ नई स्थिति पर लागू होते हैं। ऐसे मामले में निर्माण का नियम यह है कि जहां एक क़ानून द्वारा निगमित किया जाता है

एक दूसरे क़ानून में संदर्भ, पहले क़ानून का निरसन

एक तिहाई से दूसरे को प्रभावित नहीं करता है।

परिषद में भारत के राज्य सचिव की न्यायिक समिति v. हिंदुस्तान को-ऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी, लिमिटेड ने उक्त सिद्धांत का समर्थन किया और पी. 267 , इस प्रकारः

" यह सिद्धांत एक सामान्य खंड में अभिव्यक्ति पाता है जो नियमित रूप से संशोधन और निरसन अधिनियमों में दिखाई देता है जो

भारत में समय-समय पर पारित किए जाते हैं। खंड चलता हैः " इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियम का निरसन किसी भी अधिनियम को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें ऐसा अधिनियम लागू किया गया है, निगमित किया गया है या "को संदर्भित किया गया। इसलिए दोनों अधिनियमों के स्वतंत्र अस्तित्व को मान्यता दी गई है; मूल अधिनियम की मृत्यु के बावजूद, इसकी संतानें निगमन अधिनियम में जीवित रहती हैं। हालांकि सामान्य खंड अधिनियम में ऐसा कोई बचत खंड नहीं है, लेकिन उनके

लॉर्डशिप्स का मानना है कि इसमें शामिल सिद्धांत लागू होता है

भारत जैसा इस देश में है "।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि 1952 के अधिनियम की धारा 4 का बाद में संशोधन करने वाले अधिनियम के मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है।

पूर्ववर्ती अधिनियम के प्रावधानों के लिए, जहां पूर्ववर्ती अधिनियम को बाद के अधिनियम द्वारा संशोधित किया जाता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि पूर्ववर्ती अधिनियम संशोधनकारी अधिनियम को लागू करता है, शामिल करता है या संदर्भित करता है। पहले के अधिनियम में बाद के अधिनियम को शामिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल इसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है। हम.

इसलिए, पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा मोहिंदर सिंह बनाम में व्यक्त किए गए विचार से सहमत नहीं हो सकते। एमएस. हर्भजन कौर और

दरबारा सिंह बनाम। श्रीमती करनैल कौर ने कहा कि धारा 4

1952 का निरसन और संशोधन अधिनियम निरसन के मामले में लागू होता है।

एक संशोधन अधिनियम। 25. ज्यादातर मामलों में, रहने के लिए प्रार्थना, जैसा कि सिविल अपील संख्या 8162 में है

12 , इसे स्वीकार नहीं किया गया था, हालांकि कुछ मामलों में रोक को 3 अप्रैल 1997 से पहले की अवधि के लिए उपदान दिया गया है।

जैसा कि स्वतंत्र विद्यालयों के भारत संघ (आर. ई. जी. डी.) ने समझाया है।

वी. भारत और एक अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

ऊपर और पूर्व सक्रियता के सिद्धांत को लागू करना और साथ ही गुडइयर इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन में इस न्यायालय के फैसले का पालन करना। (ऊपर), निजी विद्यालयों की ओर से उठाया गया यह तर्क विफल होना चाहिए और खारिज कर दिया जाना चाहिए। 31 जनवरी 2020 का आंशिक स्थगन आदेश 2020 के एसएलपी (सी) संख्या 2235 में पारित किया गया, जिसका शीर्षक सेंट ज़ेवियर्स हाई स्कूल है। जयश्री शामल घोष, या किसी अन्य मामले में, खाली हैं।

26. ऊपर वर्णित कारणों से, उपरोक्त अपील, स्थानांतरण मामला और रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्थगन आदेश खाली हैं। निजी स्कूल कर्मचारियों/शिक्षकों को ब्याज के साथ भुगतान करेंगे। आज से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर पी. ए. जी. अधिनियम के प्रावधान और चूक के मामले में, कर्मचारी/शिक्षक पी. ए. जी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भुगतान को लागू करने के लिए उपयुक्त मंच का रुख कर सकते हैं। मामले के तथ्यों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)